न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 80 / 2013
वाद–पत्र दायरी दिनांक : 25 / 02 / 2013
निर्णय दिनांक : 13/08/2019

लालाराम पुत्र श्री किशन, जाति मीणा, निवासी खाजपुरा, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

–– वादी

बनाम

तहसीलदार, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

–– प्रतिवादी

–– वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा ––

उपस्थिति – श्री मगनलाल शर्मा
विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 13/08/19

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि खाता संख्या 01 की आराजी खसरा नम्बर 117 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 194 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 196 रकबा 0.88 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 2.80 हैक्टेयर वाकै ग्राम खाजपुरा तहसील दूदू, जिला जयपुर में स्थित है, जिसका वादी खातेदार काबिज काश्त है जिसके साबिक खसरा नम्बर 95, 165 / 1, 166 / 1 वाके ग्राम खाजपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर है, उक्त विवादित आराजी पर पर्चा सैटलमेन्ट सम्वत 2011 से ही वादी के पिता किशन का कब्जा काश्त चला आ रहा है, वादी के पिता किशन की मृत्यु के पश्चात विवादित आराजीयात पर वर्तमान तक वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। मौके पर वादी के पिता ने एक खेत बनाकर चारों तरफ मेडबन्दी कर रखी है तथा शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है एवं आसपास वादी की अन्य खातेदारी की आराजीयात हैं। उक्त विवादित आराजीयात को जब वादी के पिता जीवित रहे प्रतिवादी व उसके कारकुनानों को खातेदारी में दर्ज करने बाबत कहते रहे तो राजस्व कर्मचारियों ने खातेदारी दर्ज करने बाबत आश्वासन देते रहे, लेकिन खातेदारी में दर्ज नही की वादी

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

का पिता जो कि अनपढ काश्कार व्यक्ति था, जो इसी विश्वास में रहा कि वादी के पिता के नाम उक्त विवादित आराजी खातेदारी दर्ज कर दी गयी होगी, लेकिन विवादित आराजी वादी के पिता के नाम दर्ज नही कर अब तक सिवायचक लगानी ही दर्ज चली आ रही हैं। उक्त आराजीयात पर पूर्व में वादी के पिता व वर्तमान में वादी लगातार निर्बाध रूप से लगभग 70 सालों से कब्जा काश्त शान्तिपूर्वक चला आ रहा है, जिससे वादी को धारा 63(1)(4) के तहत विरूद्ध प्रतिवादी कब्जा मुखालपाना होने से स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। वादी ने अभी अन्तिम बार दिनांक 15/02/2013 को वादी ने प्रतिवादी को विवादित आराजी को अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादी साफ इन्कार हो गया तथा धमकी दी कि प्रतिवादी के कारकुनानों द्वारा वादी को बेदखल करवाया जायेगा तथा उक्त आराजीयात दीगर व्यक्ति को आवंटन की जावेगी, इसलिये वादी को वाद–पत्र बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जाना आवश्यक हुआ हैं।

वादी ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावें कि वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का वादी एकमात्र् काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न स्वंय करें न अन्य किसी नौकर, चाकर, एजेन्ट आदि से करावे तथा न ही विवादित आराजीयात से वादी को बेदखल करें तथा न ही विवादित आराजी को दीगर व्यक्ति को आवंटन आदि करें।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गयी। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया।

विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार राज की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार राज की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 खाता संख्या 1, जमाबन्दी सम्वत 2064–2067, राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 का नोटिस, पेनल्टी की रसीद, मिलान क्षैत्रफल, गिरदावरी पर्चा सैटलमेन्ट तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 के खाता संख्या 1 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 117, 194, 196 राजस्थान सरकार के नाम से सिवायचक दर्ज है इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2064 से

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

2067 के खाता संख्या 1 में भी उक्त आराजी सिवायचक लगानी दर्ज हैं। जिससे साबित है कि उक्त भूमि सरकारी भूमि है तथा खसरा गिरदावरियों में वादी व उसके पिता का कब्जा दर्शित है जिससे यह साबित होता है कि उक्त भूमि पर यदि वादी का किसी प्रकार से कब्जा भी है, तो वह मात्र अतिक्रमी की श्रेणी में आता हैं और न्यायालय अतिक्रमण को बढावा नही दे सकता हैं, चूंकि उक्त भूमि सरकारी भूमि है इसलिये वादी खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं। वादी द्वारा जो 91 के नोटिस एवं पेलन्टी रसीदें पेश की है, उससे साबित है कि वादी बतौर अतिक्रमी विवादित आराजी पर काबिज काश्त था एवं उसे बेदखली हेतु समय–समय पर उक्त नोटिस दिये गये है, जिनकी पालना वादी ने नही की है इसके अलावा तहसीलदारजी दूदू से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसमें भी वादी को उक्त खसरा नम्बर 117, 194, 196 पर अतिक्रमी माना है तथा दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया हैं। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त विवेचन अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र प्रथम दृष्ट्या ही खारिज योग्य पाया जाता हैं।

अतः वादीगण का वाद–पत्र वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 117 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 194 रकबा 1.02 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 196 रकबा 0.88 हैक्टेयर वाके ग्राम खाजपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर के बाबत खारिज किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13/08/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner